(प्रपत्र - 8)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प गोठिया बड़ा

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोठिया बड़ा व भू.अ.नि. तिहावली की रिपोर्ट उपखण्ड रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में दौलताबाद तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 71 नया 59 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर राजस्व रामगद के आदेश दिये जाते हैः-

क्रमांक	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	दौलताबाद	71 नया 59 पुराना	मोली पत्नी स्व. चन्द्राराम	मोहनी पत्नी स्व. चन्द्राराम
	रहन व अन्य प्रविष्टि यथावत			

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक :- 176/25/6/18

प्रतिलिपिः-

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्रीमती मोहनी पत्नी स्व. चन्द्राराम जाति जाट की सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

नि. राजसर

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)